



PM/VI/2013-14/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

Sub:- Forwarding of grant of DR rates from 01.07.2012 @ 151% to
Jharkhand pensioners

Ref:- 1.Principal Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen
III/DR/-Jharkhand/2013-14/175/SSA10 dt 14.05.2013.
2. Jharkhand Government, Finance Department No 6A(DR)-
03/09 650 Dt 15.03.2013.

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the
Principal Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The
same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You
are requested to direct all the District Treasury Officers to download the
orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the
pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To

Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND
No.PEN-III/Jharkhand/DR/2013-14/ 175 Dated:- 14-05-13

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO. 10 /2013-14

To,

The

1.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500463
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)

दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745

E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Govt of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject:-Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners in unrevised pension w.e.f. 01-07-2012 (Enhanced from 139% to 151%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.वि. प्र. 6 ए (म. म.)-03/09-650/वि.dated 15-03-2013 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

संख्या : वि.प्र. 6ए (म.भ.)-03/09.....

650/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 15/3/13

संकल्प

विशय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(A) (B) एवं तदोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत की दर को स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कई पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी कतिपय कारणों से अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन अथवा अंतिम रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1406/वि०, दिनांक 03.07.2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 139% महँगाई राहत स्वीकृत है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या 42/13/2012-P & PW(G), दिनांक 25.10.2012 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन या पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से 151% महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के वैसे पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर औपबंधिक पेंशन या पेंशन का भुगतान हो रहा है, के संबंध में केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से 151% (एक सौ एकावन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

5. महँगाई राहत के नियमितिकरण से संबंधित शर्त पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी। महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि०, दिनांक 09.05.1991 में समविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत के शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/वार्धक्य/निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय राहत को भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों के इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग (I) के नियम- 344(I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक

Subender 14/3

पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दी जाए।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखण्ड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखण्ड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलम्ब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाए।

9. महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों के दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



Sukhdev Singh 183
143

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.म.)-03/09 650/190 राँची, दिनांक 15/3/13

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev Singh 183
143

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि.प्र. 6ए (म.म.)-03/09 650/190 राँची, दिनांक 15/3/13

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड/पेंशन शाखा, वित्त विभाग/वित्त विभाग से सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/13

Jemson-3

L-47233 we

Sukhdev Singh 183
143

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।